HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4393/2026

Javed Sheikh S/o Bedaruddin Sheikh, R/o Makaan No. 1102, Jahudin Colony, Char Darwaja, Police Station Galta Gate, Jaipur. (Petitioner Is In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4931/2026

Sameer S/o Abdul Saeed @ Munna Bhai, R/o Makan No. 9B, Khatiko Ki Mandi Maliyo Ka Mohalla, Police Station Ramganj, Jaipur East. (Petitioner Is In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Shazadi Bano on behalf of Mr. Ali Mohammed Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

27/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– गांधी नगर (जयपुर शहर (पूर्व)) जिला– जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 50/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया एवं उनके द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न पत्रावली रहे।

विद्वान् लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी हैं और उनके विरुद्ध पूर्व में भी प्रकरण विभिन्न अपराधों के अंतर्गत पंजीबद्ध हो चुके हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है, तो उनके पुनः अपराध में संबद्ध होने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. जावेद शेख पुत्र बदरूद्दीन शेख, 2. समीर पुत्र अब्दुल सईद उर्फ मुन्ना भाई** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व उनके प्रतिभू के वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वे उपयोग में ले रहे हैं, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देंगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 37-38